

निम्न- 4266/2018/सीधी/शुचो

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर,  
(म0प्र0) श्रृंखला न्यायालय रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

आधि: श्री राकेश  
तिवारी द्वारा  
10-7-18




1. मुस. जियनुआ पत्नी सम्पति यादव उम्र- 80 वर्ष
2. बसुआ पुत्री सम्पति यादव उम्र 60 वर्ष
3. सुशिलिया पुत्री सम्पति यादव उम्र 56 वर्ष,  
तीनों निवासी ग्राम- पनवार चौहानन टोला तहसील गोपद बनास, जिला-  
सीधी (म0प्र0)
4. कलिया पुत्री सम्पति यादव उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम- झोलू, तहसील बहरी  
जिला सीधी (म0प्र0) -----निगरानीकर्तागण

बनाम

पार्वती पत्नी धर्मजीत यादव मृतक द्वारा वारिसान-

1. विकास यादव पिता धर्मजीत यादव
2. सीता पुत्री धर्मजीत यादव
3. सुखमन्ती पुत्री धर्मजीत यादव
4. जिवधिया पुत्री धर्मजीत यादव
5. छोटकिया पुत्री धर्मजीत यादव
6. फूटा पुत्री धर्मजीत यादव
7. कलावती पुत्री धर्मजीत यादव



सभी निवासी ग्राम- पनवार चौहानन टोला तहसील गोपद बनास, जिला-  
सीधी (म0प्र0) -----उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका विरुद्ध आदेश अधीनस्थ  
न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय बृत्त  
सेमरिया तहसील गोपद बनास जिला सीधी  
म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्र. 112/अ-27/  
2015-16 आदेश दिनांक- 14.05.2018  
जिसके द्वारा नितान्त अवैधानिक तरीके से




न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर


21

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक /निग/4266/2018/भूरा/सीधी

जियनुआ बनाम विकास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिलेखिकों आदि के हस्ताक्षर
17-07-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश तिवारी उपस्थित हुये। उन्हें द्वारा कायमी एवं स्थगन के बिंदु सुना गया। उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों का मनन किया गया एवं प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी नायब तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 14-05-18 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, चूंकि विचारण न्यायालय में प्रकरण अभी लंबित है जिसमें उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है उसमें हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है अतः विचारोपरांत प्रकरण में सुनवाई योग्य पर्याप्त आधार नहीं होने से अग्रहय किया जाता है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	<p> सदस्य 17/7/18</p>

  
20/5/18